झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — एकादश (शीतकालीन) सत्र

संख्या-04 — शुक्रवार, दिनांक-15 दिसम्बर, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 4.37 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. विविध चर्चायें:-

i- दिनांक-14.12.2017 को झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण(संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रवर समिति में भेजे जाने के सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य की माँग की गयी जिसपर आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कार्य-संचालन नियमावली के तहत ही ध्वनिमत तथा सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे प्रवर-समिति को भेजा गया है,

ii- माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने नेता प्रतिपक्ष की माँग के सम्बन्ध में कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बहस करना चाहिए था, संशोधन की माँग को मानकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रवर समिति को भेजा है, इसपर पूरे सदन की सहमति प्राप्त है,

iii- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर के वक्तव्य का समर्थन करते हुए आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि चूँकि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कई बार स्थिति को स्पष्ट की गयी तत्पश्चात् ही विधेयक को प्रवर-समिति में भेजे जाने सम्बन्धी नियमन दिया गया(भारी शोरगुल),

iv- माननीय मंत्री, श्री रणधीर सिंह ने सदन के बाहर धरने पर बैठे माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सहिस को सदन के अन्दर लाये जाने हेतु आसन से आग्रह किया तदनुसार निदेशानुसार माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा उन्हें ससम्मान सदन में लाया गया।

2.कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी एवं अन्य, श्री बादल तथा माननीय सदस्य, श्री शशिभूषण सामाड एवं अन्य से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा उन्हें अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

3.आसन से सूचना:-

माननीय सदस्यों के द्वारा सदन के बाहर धरने पर बैठे जाने सम्बन्धी विषय-वस्तु की जानकारी आसन को नहीं रहने से आसन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और अपनी भावना से सदन को उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि विषय-वस्तु की जानकारी माननीय सदस्यों

के धरना पर बैठने से पूर्व आसन को होनी चाहिए तत्पश्चात् धरना स्थल से आये हुए माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सहिस एवं पूर्व में भी धरने पर बैठे माननीय सदस्यों क्रमशः, श्री बादल एवं श्री कुणाल षडंगी को अपनी बातें सदन में रखने का अवसर आसन द्वारा प्रदान किया गया। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी भावना व्यक्त किये जाने पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल किया जाने लगा जिसपर आसन ने उन्हें शालीनता बरतने तथा सदन की गरिमा को बरकरार रखे जाने हेतु निदेश दिया।

4.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-52

(i) उत्तरित मात्र-01, तारांकित-103, श्री चम्पाई सोरेन स० वि० स०।

(ii) अनागत कुल-51, तारांकित-104 से 154 तक।

व्यवधान के कारण अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनायें तथा शून्यकाल की सूचनायें नहीं ली जा सकीं।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नियमावली, 2017 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

ii- श्रीमती मेनका सरदार, माननीया सभापति द्वारा याचिका समिति का 16वाँ प्रतिवेदन सभा नियम 216(1) के तहत सदन पटल पर रखा गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री साईमन मराण्डी ने अपने द्वारा दिये गये आवेदन सम्बन्धी वस्तुस्थिति को सदन में रखे जाने हेतु आसन से आग्रह किया जिसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गयी। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने सदन में उत्पन्न हो रहे गतिरोध पर अपनी भावनाओं को रखा।

6.विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 09 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक को स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, 03, 04, 05 से 15 तक, खण्ड-16 एवं 17, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

7.औपचारिक कार्य:-

i- पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा झारखण्ड चिकित्सा से सम्बद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान(हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017 पर- गठित प्रवर-समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया। इसी क्रम में आसन के निदेश से झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री अरूप चटर्जी द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का 55, 56 एवं 57वाँ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

8. गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के एकादश (शीतकालीन) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी एवं सरकारी उत्तर के पश्चात् इन्हें वापस लिया गया:-

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्री प्रकाश राम	बालूमाथ में महाविद्यालय की स्थापना	वापस
02	श्री राधा कृष्ण किशोर	विशुनपुर को प्रखण्ड का दर्जा देना	वापस
03	श्री साईमन मराण्डी	पानी सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना	वापस
04	श्री केदार हजरा	थाना का दर्जा देना तथा अन्यत्र ओ.पी. खोलना	वापस
05	श्री राज कुमार यादव	सड़का का निर्माण करना	वापस
06	श्री बादल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना	वापस
07	श्री प्रदीप यादव	झारखण्ड में स्थानीय लोगों को राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्त करना	वापस

P.T.O.

08	श्री अनन्त कुमार ओझा	उधवा मे अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती किया जाना	वापस
09	श्री अमित कुमार मण्डल	झारखण्ड राज्य मे युवा आयोग का गठन करना	वापस
10	श्री मनीष जायसवाल	हजारीबाग स्टेडियम का जीर्णोद्धार करना	वापस
11	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	छात्रावास का निर्माण करना	वापस
12	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	डैम एवं केनाल का निर्माण करना	वापस
13	डॉ० इरफान अंसारी	उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करना	वापस
14	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	पर्यटन स्थल को विकसित करना	वापस
	इस अवसर पर सरकारी उत्तर	पर्यन्त सदन का समय विस्तारित	किया गया
15	श्री अरुप चटर्जी	अंचल कार्यालय का सृजन करना	वापस
16	श्री आलमगीर आलम	स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था करना	वापस
17	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	देवरी सोन नदी पर पुल बनाना	वापस
18	श्री अशोक कुमार	सिंचाई वियर का निर्माण करना	वापस
19	श्री राम कुमार पाहन	पर्यटन स्थल को विकसित करना	वापस

इसके पश्चात् माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी ने एन.टी.पी.सी. द्वारा तीन हजार घरों को खाली कराये जाने, माननीय सदस्य, सर्वश्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने रिम्स मे पानी की अव्यवस्था, नवीन जयसवाल ने वहाँ एम.आर.आई. की व्यवस्था नही होने, जीतू चरण राम ने रॉंची विश्वविद्यालय की खराब व्यवस्था, बादल ने मेदांता अस्पताल की मनमानी, शिवशंकर उराँव ने माननीय सदस्यों से दो बार उपस्थिति दर्ज कराये जाने तथा डॉ० इरफान अंसारी ने बराकर नदी से अवैध बालू उठाव के कारण पुल पर मंडरा रहे खतरे की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय सदस्य,श्री प्रदीप यादव ने अपने द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प की सूचना पर सरकारी उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन का परित्याग किया।

9. समापन भाषण:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मुख्यमंत्री ने लघु सत्र मे माननीय सदस्यों से जो सहयोग मिला,उसके लिये आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने एकादश (शीतकालीन) सत्र के अवसान पर विस्तार से सदन मे सम्पादित विभिन्न विषयों को रखते हुए सभी माननीय सदस्यों, विभागीय पदाधिकारियों, सभा सचिवालय के कर्मियों, मीडिया एवं पुलिस कर्मियों के प्रति आभार जताया तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई।

रॉंची,
दिनांक- 15, दिसम्बर, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

— x —